बांसवाड़ा

27/5/22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण विथड्रॉ करना चाहते है तथा त्रुटी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमारदोन दाखिल दफ्तर हो।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 09:58:40 IST
Reason: SelfAttested